दैनिक भास्कर
बिलासपुर 06-09-2025

सामाजिक कार्यकर्ता ने पहले लगाई थी जनहित याचिका

14वें मंत्री की नियुक्ति को अब कांग्रेस ने दी हाई कोर्ट में चुनौती

बिलासपुर| हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 14वें मंत्री की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह याचिका कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दाखिल की है। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका लगाई थी।

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के मुताबिक किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं, लिहाजा सीमा 13.5 यानी 13 मंत्री तय होती है। 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुल संख्या 14 हो गई। याचिका में कहा गया है कि यह नियुक्ति सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे पहले समाजसेवी बसदेव चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका लगाई थी। दोनों मामलों पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी।

हरियाणा फार्मूले पर विरोध

राज्य सरकार ने जनहित याचिका पर बचाव में हरियाणा का उदाहरण दिया है। वहां भी विधानसभा में 90 विधायक होने के बाद 14 मंत्री हैं। भाजपा का कहना है कि जब हरियाणा में यह व्यवस्था लागू है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। वहीं, कांग्रेस का तर्क है कि हरियाणा मॉडल असंवैधानिक है और इसे छत्तीसगढ़ में लागू करना अनुच्छेद 164(1ए) की स्पष्ट अवहेलना होगी।